जापान में 6.7 तीव्रता का भूकंप

सुनामी की चेतावनी जारी, इवाते प्रांत में शाम 5.03 बजे भूकंप के तेज झटके महसूस

नई दिल्ली/टोक्यो, 09 नवम्बर. जापान के इवाते प्रांत में रविवार शाम 5.03 बजे एक शक्तिशाली भूकंप आया, जिसकी तीव्रता 6.7 मापी गई.

भूकंप के तेज झटके मोरीओका, याहाबा और मियागी प्रांतों में महसूस किए गए. जापान मौसम विज्ञान एजेंसी (जेएमए) ने इस भूकंप के बाद तटीय इलाकों में सुनामी चेतावनी जारी की है. एजेंसी ने कहा कि समुद्र में एक मीटर तक ऊंची लहरें उठ सकती हैं और लोगों को तटीय इलाकों से दूर रहने की सलाह दी गई. भूकंप का केंद्र समुद्र की सतह से 10.30 किलोमीटर की गहराई पर स्थित था, जो इसे सतही और इसलिए अधिक खतरनाक बनाता है. जापान रिंग ऑफ फायर पर स्थित होने के कारण लगातार भूकंप और ज्वालामुखी गतिविधियों का सामना करता है. विशेषज्ञों के अनुसार सतह के करीब आने वाले भूकंप इमारतों और बुनियादी ढांचे को गंभीर नुकसान पहुंचा सकते हैं. इसी दिन अंडमान सागर क्षेत्र में भी 5.4 तीव्रता का भूकंप आया. जापान ने आधुनिक भूकंप चेतावनी प्रणाली और सुनामी सेंसर नेटवर्क विकसित किया है.

> जापान के इवाते प्रांत के तटीय इलाके में रविवार शाम 5.03 बजे एक शक्तिशाली भूकंप आया, जिसकी तीव्रता 6.7 मापी गई. भूकंप के झटके मोरीओका, याहाबा और मियागी प्रांतों में महसूस किए गए. जापान मौसम विज्ञान एजेंसी (जेएमए) ने भूकंप के तुरंत बाद तटीय इलाकों में सुनामी चेतावनी जारी की. एजेंसी ने कहा कि समुद्र में लगभग एक मीटर ऊंची लहरें उठ सकती हैं, और स्थानीय लोगों को तटीय क्षेत्रों से दूर रहने का निर्देश दिया गया.

अजित पवार के बेटे जमीन विवाद में फंसे

- पुणे व बोपोडी में जमीन हड़पने के आरोप, जांच शुरू

नई दिल्ली/पुणे, 09 नवम्बर. महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री अजित पवार के बेटे पार्थ पवार की कंपनी अमेडिया होल्डिंग्स फिर से विवादों में आ गई है. इस बार मामला बोपोडी इलाके की सरकारी कृषि जमीन को हड़पने और फर्जी दस्तावेज बनाने का है.

नायब तहसीलदार प्रविणा बोर्डे ने खड़क पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराई है. इसके चलते कंपनी के डायरेक्टर दिग्विजय अमरसिंह पाटिल समेत 9 लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया गया है. इससे पहले, पार्थ पवार की कंपनी पर पुणे के मुंढवा में 300 करोड़ रुपए की जमीन हड़पने का आरोप लगा था. इस मामले में एक अधिकारी को सस्पेंड किया गया और सरकार ने हाई-लेवल जांच कमेटी बनाई है. मुख्य मुद्दा यह है कि पुणे की इस जमीन को पार्थ पवार की कंपनी को केवल 300 करोड़ रुपए में बेच दिया गया, जबकि उसकी वास्तविक कीमत लगभग 1,800 करोड़ रुपए थी. राहुल गांधी ने इस सौदे पर सवाल उठाते हुए इसे सरकारी जमीन की चोरी बताया.

> मामले की जांच 16 नवंबर तक पूरी की जाएगी. महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री अजित पवार के बेटे पार्थ पवार की कंपनी अमेडिया होल्डिंग्स पर एक और भारी जमीन घोटाले का मामला सामने आया है. बोपोडी इलाके की कृषि विभाग की जमीन पर कथित रूप से अवैध कब्जा और फर्जी दस्तावेज बनाने का आरोप है. नायब तहसीलदार प्रविणा शशिकांत बोर्डे ने खड़क पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराई, जिसके बाद अमेडिया कंपनी के डायरेक्टर दिग्विजय अमरसिंह पाटिल समेत 9 लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया. पार्थ पवार की कंपनी पुणे के मुंढवा में 300 करोड़ रुपए की जमीन डील को लेकर विवाद में थी.

पति ने की पत्नी की हथौड़े से हत्या, फिर चाकू से काटा गला

बोकारो, 09 नवंबर. झारखंड में बोकारो जिले के बोकारो थर्मल थाना क्षेत्र के डीवीसी पुनर्वासित गांव नया बस्ती में रुपेश यादव ने सोती हुई पत्नी झालो देवी को पहले हथौड़े से सिर कुचलकर और फिर चाकू से गला रेतकर हत्या कर दी. घटना के वक्त उसके तीन छोटे बच्चों के सामने घटित हुई. घटना के समय सात वर्षीय बेटी रानी, चार वर्षीय पुत्र पीयूष और डेढ़ वर्षीय पुत्री मां के साथ कमरे में सो रहे थे. पत्नी की चीख सुनकर ब्च्चों की नींद खुली और उसके रोने की आवाज सुनकर पास में रहने वाली आरोपी की मां नुनवा देवी (65) कमरे तक पहुंचीं. जब दरवाजा खुलवाया गया तो नजारा बेहद भयावह था. फर्श पर खून बिखरा था.

उत्तराखंड की संस्कृति व साहस को सलाम

केजरीवाल ने उत्तराखंड के स्थापना दिवस पर दिया संदेश

वाराणसी/नई दिल्ली. 9 नवम्बर. उत्तराखंड के स्थापना दिवस के अवसर पर आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने भावनापूर्ण संदेश साझा किया.

उन्होंने एक्स (पूर्व ट्विटर) पर पोस्ट करते हुए राज्य की विशेषताओं और उसकी आत्मा की प्रशंसा की. अपने संदेश में केजरीवाल ने लिखा कि उत्तराखंड एक ऐसी भूमि है जहां प्रकृति, संस्कृति, साहस और श्रद्धा का अद्भुत संगम देखने को मिलता है. उन्होंने सभी नागरिकों और देशवासियों को राज्य के स्थापना दिवस की शुभकामनाएं दीं. इस संदेश ने न केवल उत्तराखंडवासियों का दिल छू लिया, बल्कि अन्य राज्यों के लोगों में भी इस पर्व के महत्व को उजागर किया. केजरीवाल ने पोस्ट में इस बात पर जोर दिया कि उत्तराखंड की सांस्कृतिक धरोहर और प्राकृतिक सुंदरता देश की पहचान हैं. उनका संदेश भावनात्मक होने के साथ-साथ प्रेरक भी था, जिससे लोग राज्य की उपलब्धियों और परंपराओं को समझ सकें. केजरीवाल ने उत्तराखंड के स्थापना दिवस के अवसर पर एक्स पर एक भावनापूर्ण संदेश साझा किया. अपने पोस्ट में उन्होंने राज्य की आत्मा की प्रशंसा करते हुए कहा कि यह भूमि प्रकृति, संस्कृति, साहस और श्रद्धा का संगम है.

> केजरीवाल ने लिखा, बहुत ही सुंदर और भावनापूर्ण संदेश। आपकी शुभकामनाएं उत्तराखंड की आत्मा को सच्चे अर्थों में व्यक्त करती हैं. उनके इस संदेश ने राज्यवासियों में उत्साह और गर्व की भावना पैदा की. उत्तराखंड स्थापना दिवस के मौके पर केजरीवाल ने न केवल राज्य की प्राकृतिक सुंदरता की बात की, बल्कि सांस्कृतिक और ऐतिहासिक विरासत की भी सराहना की. उन्होंने यह भी बताया कि उत्तराखंड की भूमि ने हमेशा साहस और समर्पण के प्रतीकों को जन्म दिया है. केजरीवाल ने अपने संदेश में राज्य के युवाओं और नागरिकों को प्रेरित किया.

जापान के तेनाई शहर के पोल्ट्री फार्म में बर्ड फ्लू संक्रमण की पुष्टि

निगाटा, 09 नवंबर. जापान के निगाटा प्रांत के तेनाई शहर के पोल्ट्री फार्म में बर्ड फ्लू संक्रमण की पुष्टि की गयी है.

प्रांतीय प्रशासन ने रविवार को कहा कि तेनाई शहर के एक पोल्ट्री फार्म में संक्रमण बर्ड फ्लू (एवियन इन्फ्लूएंजा)के एक संदिग्ध मामले की जेनेटिक टेस्टिंग के बाद पुष्टि हो गई है. सरकारी अधिकारियों के अनुसार यह इस सीज़न में एक पोल्ट्री फार्म में चौथा पुष्ट मामला है. इससे पहले शहर के एक और पोल्ट्री फार्म और होक्काइडो में दो मामले सामने आए थे. सरकारी प्रवक्ता ने बताया कि इसे देखते हुए लगभग 280,000 मुर्गियों को मारने का काम शुरू हो गया है. उन्होंने बताया कि शनिवार सुबह पोल्ट्री फार्म ने काएत्सु पशुधन स्वच्छता केंद्र को जानकारी दी कि बड़ी संख्या में मुर्गियां मर रही हैं. प्रशासन ने मामले की गंभीरता को देखते हुए केन्द्र के 10 किलोमीटर के दायरे में पोल्ट्री फार्मों से लगभग 865,000 मुर्गियों और अंडों को लाने -ले जाने पर रोक लगा दी है.

मौसम : देश के कई राज्यों में बढ़ी ठिठुरन

राजस्थान, मध्यप्रदेश, छत्तीसगढ़ हरियाणा में लुढ़का पारा

नई दिल्ली, 09 नवंबर. देश में तापमान कम होने की वजह से ठंड बढ़ गई है. राजस्थान के 12, मध्य प्रदेश के 10, छत्तीसगढ़ के 1, हरियाणा के 1 और हिमाचल के 8 जिलों में न्यूनतम तापमान 10 डिग्री सेल्सियस से नीचे पहुंच गया है.

बता दें कि हिमालय की 4000 मीटर ऊंची चोटियों पर हुई ताजा बर्फबारी का असर मैदानी इलाकों में नजर आने लगा है. बर्फबारी के बाद पहाड़ों से आने वाली बर्फीली हवा सीधे मैदानों में पहुंच रही है. उत्तर भारत से आ रही बर्फीली हवा के कारण अब अलवर, उदयपुर, झुंझुनूं में भी पारा सिंगल डिजिट में आ गया.

> मौसम विभाग के अनुसार, 9, 12, 13 नवंबर को तमिलनाडु, 9 और 10 नवंबर को केरल की अधिकांश जगहों पर बारिश होने की संभावना है. 9-13 नवंबर के दौरान तमिलनाडु, 9-10 नवंबर को केरल में बारिश छींटे पड़ने की संभावना है. पूर्वी राजस्थान के कुछ हिस्सों, 9-11 नवंबर के दौरान एमपी, छत्तीसगढ़, झारखंड में शीतलहर चलेगी. चार पांच दिनों में मध्य प्रदेश, उत्तरी छत्तीसगढ़, उत्तर पश्चिम झारखंड, दक्षिण हरियाणा के कुछ हिस्सों में रात का तापमान सामान्य से चार से सात डिग्री कम रहेगा और उत्तर पश्चिम भारत के मैदानी इलाकों और उत्तरी मध्य महाराष्ट्र में लगभग दो से चार डिग्री सेल्सियस तक कम होगा.

टीजीसीएसबी की कार्रवाई, 5 राज्यों से 81 साइबर अपराधी गिरफ्तार

- 95 करोड़ के साइबर फ्रॉड नेटवर्क का फैला है जाल
- 84 मोबाइल, 101 सिम और 89 बैंक पासबुक जब्त

हैदराबाद, 09 नवम्बर. तेलंगाना साइबर सुरक्षा ब्यूरो (टीजीसीएसबी) ने देशभर में फैले साइबर अपराध नेटवर्क पर बड़ी कार्रवाई करते हुए 81 संदिग्ध साइबर अपराधियों को गिरफ्तार किया है, जिनमें सात महिलाएं भी शामिल हैं.

यह समन्वित अभियान अक्टूबर महीने में 25 दिनों तक चला और इसमें केरल, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और कर्नाटक में एकसाथ छापेमारी की गई. तेलंगाना पुलिस महानिदेशक कार्यालय ने बताया कि यह टीजीसीएसबी के नेतृत्व में अब तक की सबसे बड़ी कार्रवाई है. जांच के दौरान धोखाधड़ी के जरिए धन हेराफेरी करने वाले एजेंटों, खाताधारकों और मददगारों के एक बड़े नेटवर्क का पर्दाफाश हुआ. अभियान में 84 मोबाइल फोन, 101 सिम कार्ड व 89 बैंक पासबुक एवं चेकबुक जब्त की गई.

'भस्मासुर जनता से वरदान मांग रहे हैं'

केंद्रीय मंत्री शिवराज ने बेलहर में जनसभा को किया संबोधित

बांका, 09 नवंबर. भारत के ग्रामीण विकास, कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने रविवार को कहा कि बिहार चुनाव में भस्मासुर जनता से वरदान मांग रहे हैं और एक बार जो वरदान मिल गया तो जनता के सर पर ही हाथ रख देंगे.

सिंह ने बांका जिले के बेलहर विधानसभा क्षेत्र में एक जनसभा को संबोधित करते हुए भगवान शिव और भस्मासुर की कहानी सुनाई और कहा कि भगवान शिव ने जब भस्मासुर को वरदान दिया कि वह जिसके सर पर हाथ रखेगा, वही भस्म हो जायेगा. उसके बाद उसने वरदान देने वाले के ही सर पर हाथ रखने कोशिश की थी और शिव को बचाने के लिए भगवान विष्णु को मोहनी का रूप धारण करना पड़ा था . उन्होंने कहा कि भगवान विष्णु ने मोहिनी रूप में भस्मासुर को नृत्य की मुद्रा में उसके अपने ही सर पर हाथ रखने के लिए मजबूर किया, जिससे वह स्वयं भस्म हो गया.

> उन्होंने कहा कि बिहार में कांग्रेस या राष्ट्रीय जनता दल ने महिलाओं के बारे में कभी नही सोचा . उन्होंने कहा कि शास्त्र में कहा गया है कि जहां नारी का सम्मान होता है, वहीं देवता बसते हैं . श्री चौहान ने कहा कि बिहार में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार महिलाओं को रोजगार देना चाहते हैं, वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उन्हें लखपति बनाना चाहते हैं . केंद्रीय मंत्री ने कहा कि ग्रामीण विकास विभाग उनके पास है और वह सुनिश्चित करेंगे कि बिहार का कोई गरीब कच्चे मकान में नही रहे .

मुकेश अंबानी बनाएंगे नाथद्वारा में सेवा सदन

नाथद्वारा, (राजस्थान) 09 नवम्बर. रिलायंस इंडस्ट्रीज के चेयरमैन मुकेश अंबानी ने हिंदुओं के प्रसिद्ध तीर्थस्थल श्रीनाथजी की नगरी नाथद्वारा में एक आधुनिक यात्री एवं वरिष्ठ सेवा सदन बनाने की घोषणा की है. सूत्रों ने रविवार को बताया कि श्री अम्बानी ने श्रीनाथजी मंदिर में 15 करोड़ रुपये का दान भी दिया. इस अवसर उन्होंने श्रीनाथजी भोग-आरती के दर्शन किए और पूज्य गुरु विशाल बावा साहेब से आशीर्वाद लिया. यह नया सेवा सदन तीर्थयात्रियों और वरिष्ठ वैष्णव भक्तों के लिए समर्पित होगा. इसमें 100 से अधिक कमरे होंगे.

आज का इतिहास

1483 ईसाई धर्म में नई धारा की शुरुआत करने वाले मार्टिन लूथर का जन्म

1848 भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापकों में से एक और पार्टी के सम्मानित नेता सुरेन्द्रनाथ बनर्जी का जन्म।

1885 गोटलिएब डेमलेर ने दुनिया की पहली मोटरसाइकिल पेश की।

1931 हिन्दी भाषा के प्रसिद्ध साहित्यकार गंगाप्रसाद अग्निहोत्री का निधन।

1950 अमेरिका के लेखक विलियम फॉकनर को साहित्य नोबेल पुरस्कार से सम्मनित किया गया।

1951 – संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने प्रस्ताव 96 को स्वीकार किया।

सावधान.. सावधान.. सावधान..

जाहिर सूचना

समस्त चल एवं अचल संपत्तियों से बेदखल एवं संबंध विच्छेद करने के सम्बन्ध में

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मैं श्री श्यामलाल धाकड पिता श्री दयाराम धाकड एवं मेरी पत्नी श्रीमती प्रेम धाकड पति श्यामलाल धाकड निवासी- 93, जावरा कंपाउण्ड, इंदौर ने अपने ज्येष्ठ पुत्र जितेन्द्र धाकड को जो कि हमारे कहने-सुनने में नहीं हैं, आये दिन लडाई-झगडा विवाद करता रहता है उसे आज दिनांक को हम अपनी समस्त चल-अचल संपत्तियों से बेदखल कर रहे है और उससे सभी प्रकार से सम्बंध भी विच्छेद कर लिये है, जितेन्द्र धाकड का हमसे एवं हमारे अन्य परिजनों से किसी भी प्रकार का कोई संबंध नहीं रहेगा, जिस किसी भी व्यक्ति या संस्था द्वारा हमारे ज्येष्ठ पुत्र जितेन्द्र धाकड से पुर्व में किसी भी प्रकार का कोई भी आर्थिक लेन-देन, पत्राचार, व्यापार-व्यवसाय या व्यवहार किया गया हों तो वह एवं भविष्य में भी इस तरह का कोई आर्थिक लेन-देन, पत्राचार, व्यापार-व्यवसाय या व्यवहार किया जाता है तो उसके लिये वह व्यक्ति या संस्था स्वयं जवाबदार रहेगा। हमारी कोई जवाबदारी नहीं है हमने हमारे ज्येष्ठ पुत्र जितेन्द्र धाकड को अपने समस्त अधिकारो से वंचित कर दिया है और पुत्र संबंध भी खत्म कर दिये है। किसी भी व्यक्ति या संस्था द्वारा जितेन्द्र धाकड से किये गये व्यवहार के लिये हम जवाबदार नहीं है, ना ही कोई भी व्यक्ति या संस्था हमसे उसके संबंध में संपर्क करे। इस प्रकार की गई कोई भी कार्यवाहियां जाहिर सूचना के माध्यम से निरस्त व शुन्य मानी जावेगी। सो सूचित होवें।

श्यामलाल धाकड़, प्रेम धाकड़
पता- 93, जावरा कंपाउण्ड, परिवार न्यायालय के पास इंदौर म.प्र., मोबा. 96690 46660

न्यायालय न्यायिक दण्डाधिकारी महोदय प्रथम श्रेणी मंडला म.प्र.
(पीठासीन अधिकारी सुश्री वत्सला प्रजापति)
Pro-No-631/25
प्र.क्रं. UNCR/401/25 नियत दिनांक :-05/12/2025
आज्ञा दिनांक :- 31/10/2025

शंभु प्रसाद कछवाहा पिता स्व. श्री दुलारे उर्फ रामदुलारे उम्र 65 निवासी ग्राम लालीपुर, तहसील व जिला मंडला म.प्र ....परिवादी

// विरुद्ध //

1. शैकी चौरसिया पिता श्री घनश्याम प्रसाद चौरसिया निवासी ग्राम विनायका तहसील व जिला मंडला म.प्र. 2. राजेन्द्र कछवाहा पिता श्री राधेलाल कछवाहा निवासी डॉ. राजेन्द्र प्रसाद वार्ड मंडला, तहसील व जिला मंडला म.प्र. 3. इमतरी उर्फ राधाबाई कछवाहा पति श्री मदन लाल कछवाहा निवासी मोदीबाडा, सदर, रानीताल, जबलपुर जिला जबलपुर म.प्र. 4. कृष्णा बाई कछवाहा पति श्री भगवान दास कछवाहा निवासी शंकर शाह नगर वार्ड रामपुर जबलपुर जिला जबलपुर म.प्र. निवासी दुर्गानगर जबलपुर रामपुर जबलपुर जिला जबलपुर म.प्र. 5. प्रहलाद कछवाहा पिता श्री राधेलाल कछवाहा निवासी डॉ. राजेन्द्र प्रसाद वार्ड मंडला, तहसील व जिला मंडला म.प्र. 6. शशि पत्नि श्री छिदामी लाल कछवाहा निवासी कमला नेहरू वार्ड, विजय नगर जबलपुर जिला जबलपुर म.प्र. 7. रेखा कछवाहा पति श्री बंशीलाल कछवाहा निवासी विजय नगर इंदौर, जिला इंदौर म.प्र. 8. मनीषा कछवाहा पति श्री महेन्द्र कछवाहा निवासी तसला फेक्ट्री के पीछे राजीव कॉलोनी मंडला जिला मंडला म.प्र. 9. शकुंतला कछवाहा पत्नि स्व. सतीष कछवाहा 10. अभिषेक कछवाहा पिता श्री सतीष कछवाहा 11. अनुराग कछवाहा पिता श्री सतीष कछवाहा 12. प्रतीक कछवाहा पिता राधेलाल कछवाहा
क्रं. 9 से 12 निवासी डॉ. राजेन्द्र प्रसाद वार्ड मंडला तहसील व जिला मंडला म.प्र.
13. उपपंजीयक, उप पंजीयन कार्यालय, मंडला जिला मंडला म.प्र. 14. थाना प्रभारी, थाना मंडला जिला मंडला म.प्र.......................अभियुक्तगण

प्रेषित –
1. शैकी चौरसिया पिता श्री घनश्याम प्रसाद चौरसिया निवासी ग्राम विनायका तहसील व जिला मंडला म.प्र. 4. कृष्णा बाई कछवाहा पति श्री भगवान दास कछवाहा निवासी शंकर शाह नगर वार्ड रामपुर जबलपुर जिला जबलपुर म.प्र. निवासी दुर्गानगर जबलपुर रामपुर जबलपुर जिला जबलपुर म.प्र. 6. शशि पत्नि श्री छिदामी लाल कछवाहा निवासी कमला नेहरू वार्ड, विजय नगर जबलपुर जिला जबलपुर म.प्र. 7. रेखा कछवाहा पति श्री बंशीलाल कछवाहा निवासी विजय नगर इंदौर, जिला इंदौर म.प्र.

// आम इस्तहार //

सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि, परिवादी द्वारा धारा 420, 156 (3) द.प्र.सं. के अंतर्गत अनावेदकगणो के खिलाफ प्रस्तुत किया है जिसमें अनावेदकगण न्यायालय में उपस्थित नहीं हो रहे है इस कारण उन्हें दैनिक समाचार पत्र आम इस्तहार के माध्यम से नोटिस प्रेषित किया जा रहा है। उक्त पेशी दिनांक 05/12/2025 को प्रकरण नियत है जिस किसी व्यक्ति को आपत्ति हो वह नियत दिनांक 05/12/2025 को न्यायालय मे उपस्थित हो कर आपत्ति प्रस्तुत करें। प्रकरण की आगामी पेशी दिनांक 05/12/2025 को न्यायालीन समय में आप प्रेषित स्वयं या अपने अधिवक्ता, प्रतिनिधि जिसे प्रकरण की संपूर्ण जानकारी हो के माध्यम से मय दस्तावेजों के उपस्थित होकर जवाब पेश करे, उक्त दिनांक को अवकाश की दशा में आगामी न्यायालीन कार्य दिवस पर उपस्थित होवें, उक्त दिनांक तक किसी भी प्रकार की आपत्ति प्राप्त न होने पर परिवादी के पक्ष में एक पक्षीय आदेश पारित कर दिये जायेंगे। अत: आज दिनांक 08/11/2025 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालीन मुद्रा से जारी किया गया।

मण्डला, दिनांक- 08/11/2025 **(वत्सला प्रजापति)**
न्यायिक दण्डाधिकारी महोदय प्रथम श्रेणी मंडला म.प्र.

सीएफएम एसेट रीकंस्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड CIN: U67100GJ2015PTC083994
thoughtful regeneration
पहली मंजिल, वेकफील्ड हाउस, स्प्रोट रोड, बैलार्ड एस्टेट, मुंबई -400038 ईमेलः ram-jaluka@cfmarc-in संपर्कः 022-40055282/8976862752

कब्जे की सूचना

"फिनोवा कैपिटल प्राइवेट लिमिटेड ने 21 मार्च 2025 के असाइनमेंट डीड के जरिए सीएफएम एसेट रिकंस्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड के पक्ष में ऋण सौंप दिया है। चूंकि, नीचे हस्ताक्षरकर्ता सीएफएम एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी (सीएफएम एआरसी) के प्राधिकृत अधिकारी होने के नाते, वित्तीय आस्तियों के प्रतिभूतिकरण और पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 के तहत तथा प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम 2002 के नियम 3 के साथ धारा 13(12) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, नीचे उल्लिखित उधारकर्ता/ सह-उधारकर्ताओं/ बंधककर्ताओं/गारण्टर को देय राशि चुकाने के लिए एक मांग नोटिस जारी किया है। उधारकर्ता और आम जनता को यह सूचना दी जाती है कि नीचे हस्ताक्षरकर्ता ने उक्त नियमों की धारा 13(4) के तहत उसे प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए नीचे वर्णित संपत्ति का कब्जा ले लिया है। उधारकर्ता और व्यक्तिगत गारंटर विशेष रूप से और आम जनता को इस संपत्ति से कोई लेन-देन न करने की चेतावनी दी जाती है और संपत्ति के साथ कोई भी लेन-देन सीएफएमएआरसी द्वारा नीचे उल्लिखित राशि के साथ-साथ उस पर अतिरिक्त ब्याज और लागत, शुल्क और व्यय आदि (मांग नोटिस जारी होने के बाद से भुगतान की गई राशि को घटाकर, यदि कोई हो) के अधीन होगा। उधारकर्ता और व्यक्तिगत गारंटर का ध्यान अधिनियम की धारा 13 की उप-धारा (8) के प्रावधानों की ओर आकर्षित किया जाता है, जो सुरक्षित आस्तियों को भुनाने के लिए उपलब्ध समय के संबंध में है। LAN नंबर उधारकर्ता / सह-उधारकर्ता/ बंधककर्ता /गारंटर मांग नोटिस की तिथि और राशि बंधक संपत्ति के कब्जे का विवरण।

ऋणी/सह-ऋणी एवं गारण्टर का नाम एवं पता	मांग नोटिस की तिथि और राशि	कब्जे की तिथि	बंधक सम्पत्ति का विवरण
(ऋण खाता संख्या) 5010034, अर्जुन (ऋणी/ बंधककर्ता), हीरामणी (सहऋणी), रमेश चन्द्र (गारंटर)	27.05.25 Rs. 4,43,559/- चार लाख तेतालीस हजार पांच सौ उनसठ रूपये मात्र 31.03.2025 तक	04-नवम्बर-25	रिहायशी/व्यावसायिक संपत्ति भूमि/बिल्डिंग/स्ट्रक्चर एवं फिक्सर के सभी अभिन्न अंग स्थित पीएच नं. 87, एलएसएन 329, मकान नं. 27/2, ग्राम मुडली, तहसील तराना, जिला उज्जैन, मप्र 456665, क्षेत्रफल 450 वर्गफीट, पूर्वः निर्भय सिंह का प्लॉट, पश्चिमः निर्भय सिंह का प्लॉट, उत्तरः स्वयं की भूमि, दक्षिणः रोड

दिनांकः 08.11.2025
स्थानः उज्जैन, मप्र
प्राधिकृत अधिकारी
सीएफएम एसेट रिकंस्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड
[सीएफएमएआरसी ट्रस्ट – 159 के ट्रस्टी के रूप में कार्यरत]

OFFICE OF UJJAIN DEVELOPMENT AUTHORITY
Pradhikaran Bhawan, Bharatpuri Administrative Zone,
Dewas Road, Ujjain - 456010
email- udaujjain@gmail.com, website- www.udaujjain.org

Tender Notice

Online tenders are invited from eligible firms for the following work. Detailed tender details can be found on the website https://mptenders.gov.in/nicgep/app

No.	Tender number & date of issue	Name of work	Proposed Development Cost (Approx.)	Cost of Tender Form and EMD (INR)	Tender Publish Date & Last date of tender
1	UDA/ETENDER /25/140, 07-11-2025 [2025_DTCP_ 461527_1]	DEVELOPMENT, OPERATION & MAINTENANCE OF INTER MODAL STATION AT DEWAS GATE AT UJJAIN ON DBFOT MODE IN THE STATE OF MADHYA PRADESH	500.00 Cr.	59,000/- 50,00,000/-	11/11/2025 12:30 PM 18/12/2025 17:30PM

Note: Any amendments to the tender will be published online only on the website and will not be published separately in newspapers.

(Kuldeep Raghuwanshi)
Executive Engineer, UDA, Ujjain

शुभम हाउसिंग डेवलपमेंट फायनेंस कम्पनी लिमिटेड
शुभम्
कार्पो. कार्यालय : 425, उद्योग विहार फेस -IV, गुरूग्राम -122015 (हरियाणा)
फोन: 0124-4212530/31/32, ईमेल : customercare@shubham.co, वेबसाईट - www.shubham.co

मांग सूचना

वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 (इसमें आगे 'अधिनियम' कहा गया है) की धारा 13(2) के अंतर्गत सूचना

यह आपको सूचित किया जाता है कि धरोहर ऋणकर्ता **शुभम हाउसिंग डेवलपमेंट फायनेंस कंपनी लिमिटेड** जिसका पंजीकृत कार्यालय 608, 609, छठवीं मंजिल, ब्लॉक–सी अंसल एम्पेरियल टॉवर, कम्युनिटी सेन्टर, नारायणा विहार, न्यू दिल्ली–110028 (इसके पश्चात 'एसएचडीएफसीएल' के रूप में संबोधित) द्वारा आपके ऋण खाते को एनपीए के तौर पर घोषित कर चुका है एवं एसएचडीएफसीएल के आपके ऋण खाते के विरूद्ध संपूर्ण ऋण का भुगतान करने के उत्तरदायी है। आपको उपरोक्त राशि पर अनुबंध दर पर लागू भविष्य ब्याज के साथ प्रासंगिक व्यय, मूल्य, शुल्क आदि का भुगतान करने के उत्तरदायी है। इसलिए इस सूचना के दिनांक से 60 दिवस में एसएचडीएफसीएल को आपके संपूर्ण दायित्व का भुगतान करने के लिए आपको बुलाया जाता है असफल रहने पर एसएचडीएफसीएल को कानून की धारा 13(4) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करने में सक्षम होगी। ऋणकर्ताओं एवं धरोहर संपत्ति का विवरण नीचे दिया गया है।

क्र. स.	ऋण खाता क्रं. ऋणकर्ता (ओं) का नाम	ऋणी का पता	मांग सूचना दिनांक एवं मांग राशि	सुरक्षित संपत्ति
1	लोन नं. 0IDR1905000005019799, इमरान खान, रफीक खान	नाहरशाह, नगर नी पनिया रोड, इंदौर, स्टार चौराहा, इंदौर, मध्य प्रदेश, 452016	11-10-2025 & Rs.9,33,138/-	पश्चिमी भाग का पूर्वी भाग और पूर्वी भाग का पश्चिमी भाग, मकान संख्या 135 , प्लॉट सर्वे संख्या 325/4/2 भाग पर स्थित है, शराफत नगर खजराना, इंदौर, मध्य प्रदेश – 452001 , क्षेत्रफल–400 वर्ग फुट, चुत्तूरसीमाएंः–पूर्व – उसी प्लॉट संख्या 135 का शेष भाग, पश्चिम – उसी प्लॉट संख्या 135 का शेष भाग, उत्तर – रोड, दक्षिण – अनवर भाई का मकान

स्थान : गुडगाँव
दिनांक: 08-11-2025
प्राधिकृत अधिकारी
शुभम हाउसिंग डेवलपमेन्ट फायनेंस कम्पनी लिमिटेड

सीएफएम एसेट रीकंस्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड CIN: U67100GJ2015PTC083994
thoughtful regeneration
पहली मंजिल, वेकफील्ड हाउस, स्प्रोट रोड, बैलार्ड एस्टेट, मुंबई -400038 ईमेलः ram-jaluka@cfmarc-in संपर्कः 022-40055282/8976862752

कब्जे की सूचना

"फिनोवा कैपिटल प्राइवेट लिमिटेड ने 31 दिसंबर 2024 के असाइनमेंट डीड के जरिए सीएफएम एसेट रिकंस्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड के पक्ष में ऋण सौंप दिया है। चूंकि, नीचे हस्ताक्षरकर्ता सीएफएम एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी (सीएफएम एआरसी) के प्राधिकृत अधिकारी होने के नाते, वित्तीय आस्तियों के प्रतिभूतिकरण और पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 के तहत तथा प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम 2002 के नियम 3 के साथ धारा 13(12) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, नीचे उल्लिखित उधारकर्ता/ सह-उधारकर्ताओं/ बंधककर्ताओं/गारण्टर को देय राशि चुकाने के लिए एक मांग नोटिस जारी किया है। उधारकर्ता और आम जनता को यह सूचना दी जाती है कि नीचे हस्ताक्षरकर्ता ने उक्त नियमों की धारा 13(4) के तहत उसे प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए नीचे वर्णित संपत्ति का कब्जा ले लिया है। उधारकर्ता और व्यक्तिगत गारंटर विशेष रूप से और आम जनता को इस संपत्ति से कोई लेन-देन न करने की चेतावनी दी जाती है और संपत्ति के साथ कोई भी लेन-देन सीएफएमएआरसी द्वारा नीचे उल्लिखित राशि के साथ-साथ उस पर अतिरिक्त ब्याज और लागत, शुल्क और व्यय आदि (मांग नोटिस जारी होने के बाद से भुगतान की गई राशि को घटाकर, यदि कोई हो) के अधीन होगा। उधारकर्ता और व्यक्तिगत गारंटर का ध्यान अधिनियम की धारा 13 की उप-धारा (8) के प्रावधानों की ओर आकर्षित किया जाता है, जो सुरक्षित आस्तियों को भुनाने के लिए उपलब्ध समय के संबंध में है। LAN नंबर उधारकर्ता / सह-उधारकर्ता/ बंधककर्ता /गारंटर मांग नोटिस की तिथि और राशि बंधक संपत्ति के कब्जे का विवरण।

ऋणी/सह-ऋणी एवं गारण्टर का नाम एवं पता	मांग नोटिस की तिथि और राशि	कब्जे की तिथि	बंधक सम्पत्ति का विवरण
(ऋण खाता संख्या) 5011718, विष्णु (ऋणी), सुनीता विष्णु (सहऋणी)	03-मार्च-25 Rs. 2,18,164/- दो लाख अठारह हजार एक सौ चौसठ रूपये मात्र 31-12-2024 तक	04-नवम्बर-25	रिहायशी/व्यावसायिक संपत्ति भूमि/बिल्डिंग/स्ट्रक्चर एवं फिक्सर के सभी अभिन्न अंग स्थित एलएसएन 113, पीएच न56, मकान नं. 169, ग्राम गंगालवा, खेडी, तहसील तराना, जिला उज्जैन, मप्र क्षेत्रफल 456668, क्षेत्रफल 529 वर्गफीट, पूर्वः 21 फीट रोड, पश्चिमः 21 फीट रोड के पश्चात कचरूलाल- मदनलाल का मकान, उत्तरः 36 फीट रूगगाजीनग्गा जी, दक्षिणः 36 फीट रोड
(ऋण खाता संख्या) 5012524, अजय (ऋणी), ममता बाई (सहऋणी), आनन्दीलाल (सहऋणी), शंकर उंकार सिंह (गारंटर)	03-मार्च-25 Rs. 6,77,020/- छः लाख सतहत्तर हजार बीस रूपये मात्र 31-12-2024 तक	04-नवम्बर-25	रिहायशी/व्यावसायिक संपत्ति भूमि/बिल्डिंग/स्ट्रक्चर एवं फिक्सर के सभी अभिन्न अंग स्थित ग्राम पीएच नं. 39, मकान नं. 122 सेक्टर 03 ग्राम रूपा खेडी तहसील तराना, जिला उज्जैन, मप्र 456665, क्षेत्रफल 792 वर्गफीट, पूर्वः श्री गणपता का 40 फीट प्लॉट, पश्चिमः 40 फीट सरकारी भूमि, उत्तरः 36 फीट रोड, दक्षिणः 36 फीट सरकारीभूमि
(ऋण खाता संख्या) 5021324, अम्बाराम (ऋणी), राजकुंवर बाई (सहऋणी)	07-अप्रैल-25 Rs. 3,83,638/- तीन लाख तिरासी हजार छः सौ अडतीस रूपये मात्र 31-12-2024 तक	04-नवम्बर-25	रिहायशी/व्यावसायिक संपत्ति भूमि/बिल्डिंग/स्ट्रक्चर एवं फिक्सर के सभी अभिन्न अंग स्थित पीएच नं. 18, एलएसएन 155, मकान नं. साडीखेडी जीपी खामभुखोडी, तहसील तराना, जिला उज्जैन, मप्र क्षेत्रफल 456665 क्षेत्रफल 784 वर्गफीट, पूर्वः श्रीमती रेशम बाई कामकान, पश्चिमः श्री भागीरथ का मकान, उत्तरः रोड, दक्षिणः रोड
(ऋण खाता संख्या) 5033729, विशाल (ऋणी), ईश्वर सिंह (सहऋणी), संगीता बाई (सहऋणी)	10-मार्च-25 Rs. 4,43,496/- चार लाख तेतालीस हजार चार सौ छियानवे रूपये मात्र 31-12-2024 तक	04-नवम्बर-25	रिहायशी/व्यावसायिक संपत्ति भूमि/बिल्डिंग/स्ट्रक्चर एवं फिक्सर के सभी अभिन्न अंग स्थित मकान नं. 16 पीएच नं. 81 एलएसएन 198 ग्राम मालीखेडी तहसील तराना, उज्जैन, मप्र 456665, क्षेत्रफल 336 वर्गफीट, पूर्वः श्री गिरधारी लाल का मकान, पश्चिमः श्री रमेश चन्द्र का मकान, उत्तरः आम गली, दक्षिणः श्री राजेश पटले का मकान

दिनांकः 08.11.2025
स्थानः उज्जैन, मप्र
प्राधिकृत अधिकारी
सीएफएम एसेट रिकंस्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड
[सीएफएमएआरसी ट्रस्ट – 151 के ट्रस्टी के रूप में कार्यरत]